

भाग-III

(Shaarfatak to Dau Ghorya-Motor Road)

(शहरपाटक से दो घोड़िया मोटर रोड)

(प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/37890/2018)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1. क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किये गये हैं, को संलग्न करें।	नहीं प्रस्ताव के अनुरूप उक्त प्रस्तावित मार्ग 5 किमी० लम्बाई तथा 9 मीटर चौड़ाई में गठित किया गया है। जिस हेतु आरक्षित वन भूमि 2550 मीटर यानि 2.295 है० वन पंचायत भूमि 1275 मीटर यानि 1.147 है० तथा 1175 मीटर यानि 1.058 है० नाम भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रस्तावित मार्ग में 691 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के प्रभावित होते हैं। जिसमें बांज प्रजाति के 74 वृक्ष प्रभावित होते हैं। अतः अलग से निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा 16-09-2020 को किये गये निरीक्षण से सहमति व्यक्त की जाती है।
2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।	हाँ सहमत
3. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है कि याचक विभाग/प्रयोक्ता एंजेसी द्वारा उक्त के अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार की वृक्षो आदि को क्षति पहुंचायी जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वह स्वयं वहन करेगा। अतः स्वीकृति कर अग्रेत्तर प्रेषित।

दिनांक 18.02.2021

स्थान-नैनीताल

(कुबेर सिंह बिष्ट)

वन संरक्षक,

दक्षिणी कुमायूँ वन संरक्षक, नैनीताल।